

जन्म आदेशादि 8-4-08

2

न्यायालय उप जिलाधिकारी सचिव बरेली।

4

वाच सं 449/07-08

पारा 143 गैड.ए.एल.आर.एक्ट
ग्राम मुडिया अहमदनगर परगना
तहसील व जिला बरेली।

ज्योति का गिल ऑफ मैनेजमेंट साइंस
टेक्नोलॉजी प्रबन्धक प्रोफेसर विलास सरकार आदेशादि 08.4.08
तहसीलदार (अदर) परवाना अमलदराज
बरेली।



तहसीलदार सचिव की अख्या से सहमत होते हुए ग्राम
मुडिया अहमदनगर परगना तहसील व जिला बरेली के गाटा प्र 423
रकबा 0.101 व 424 रकबा 0.411 कुल 2 कित्ता कुल रकबा
0.512 हे० भूमि को अग्र अधिक घोषित किया जाता है। अमलदराज
कर इस न्यायालय को अवगत कराये।

उप जिलाधिकारी सचिव
बरेली। 10C

भाषी का नाम	श्री श्री 22/3/08
राजपूत्र सं.	12/3/08
प्राथमिक सं. सं.	12/3/08
प्रतिपत्ति प्रमाण सं.	12/3/08
नोटिस लेख का दिनांक	12/3/08
यु.क.	12/3/08
विलेख घोषित दिनांक	12/3/08
निर्णय की तारीख	12/3/08
कृ. सं.	12/3/08



छाया प्रतिलिपि

जमिंदारपाल (माल)
दिनांक 12/7/08

न्यायालय उप जिलाधिकारी सदर बरेली ।

वाद संख्या 169 /2003=2004 अर्न्तगत धारा 143 उपरोजिओएवं भूधारा अधिनियम

सरकार बनाम श्रीतेन्द्र सिंह ग्राम मुखिया अहमदनगर परगना तहसील व जिला बरेली सोसाईटी फारहयूमन एक्जेशन एण्ड डेवलपमेंट

आदेश दि 4-9-04

प्रस्तुत वाद श्री श्रीतेन्द्र सिंह पुत्र श्री यशवन्त सिंह निवासी सिद्धासन, मैकनियर रोड, प्रेमनगर, तहसील व जिला बरेली के प्रार्थना पत्र प्रारम्भ हुआ । प्रार्थना पत्र तहसीलदार सदर से आख्या प्राप्त की गयी म तहसीलदार सदर की आख्या के आधार पर वाद दर्ज रजिस्टर की विपक्षि को नोटिस जारी किया गया । विपक्षि हाजिर आया उसके द्वारा उक्त आख्या के विरुद्ध कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गयी । तहसीलदार सदर बरेली ने अपनी आख्या में संकेत किया है कि ग्राम मुखिया अहमदनगर परगना तहसील व जिला बरेली के गाटा संख्या 435/0.264 है, 436/0.388 है 0 पर कृषि का कार्य नहीं हो रहा है उक्त भूमि का उपयोग गैर कृषि कार्यो में भूधारांक द्वारा किया जा रहा है । भूमि संबंधी कोई विवाद किसी भी न्यायालय में विचारणीय नहीं है । जिसे अकृष्ण घोषित किये जाने की संस्तुति को है ।

मेमें तहसीलदार सदर बरेली को आख्या एवं पत्रावली का अवलोकन किया । जिससे स्पष्ट है कि उक्त भूमि पर कृषि का कार्य नहीं हो रहा है जिसे अकृष्ण घोषित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है ।

अतः ग्राम मुखिया अहमदनगर परगना तहसील व जिला बरेली के गाटा संख्या 435/0.264 है 0 एवं 436/0.388 है 0 को अकृष्ण घोषित किया जाता है । उक्त आदेश को प्रति उप निबंधक बरेली को प्रेषित की जावे । पत्रावली वाद अमलदरामद दफ्तर की जावे ।

दिनांक 4.09.04

जे.बी.वी.दीक्ष 04
उप जिलाधिकारी सदर बरेली ।



कलम जारी
9570
23/6/14

अर्थात्, उपरोक्त 2 के उदाहरण 740 के
के गुण के अनुसार (अर्थात् 740 के)

प्रार्थी का नाम - श्रीतेन्द्र सिंह पुत्र श्री यशवन्त सिंह
रजिस्ट्रेशन सं० - 118/13
प्रार्थना पत्र का दिनांक - 15/7/04
प्रतिलिपि बनाने का दिनांक - 18/7/04
नोटिस बोर्ड का दिनांक - 18/7/04
शु.क - 10/-
बनाम पार्श्व के हस्ताक्षर -
मिलान कार्या के हस्ताक्षर -
कुल शब्द - 10

छाया प्रतिलिपि
अभिलेखापाल (मान)
दिनांक 10/7/10

23

न्यायलय अ जिलाधिकारी सदर बरेली ।
वाद संख्या 101 /03-04 धारा 143 जेड0ए0एल0आर0एकट
सरकार बनाम सोसायटी फार ह्यूमन डवलपमेन्ट
ग्राम मुड़िया अहमदनगर पर0तह0बरेली ।

नकल - आदेश दि० 17-4-04

प्रस्तुत वाद तहसीलदार सदर बरेली की आख्या पर दर्ज रजिस्टर किया गया । तहसीलदार सदर ने अपनी आख्या में अंकित किया है कि ग्राम मुड़िया अहमदनगर पर0 तह0 बरेली के गाटा सं० 415/0.164, 437/0.128, 416/0.114, 417/0.114, 418/0.228 एवं 412/0.060 पर कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है अतः अकृषक घोषित किया जाये ।

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया । तहसीलदार सदर बरेली की आख्या से पूर्णतः सहमत हूँ ।

ग्राम मुड़िया अहमदनगर के गाटा सं०/रकबा 415/0.164, 437/0.128, 416/0.114, 417/0.114, 418/0.228, 412/0.060 कुल 6 कित्ता रकबा 0.808 को अकृषक घोषित किया जाता है । आदेश की एकप्रति उप निबन्धक कार्यालय को भेजी जाये । पत्रावली वादअमलदरामद दाकि उत्तर हो ।

19.04.04
जे० बी० यादव
अ जिलाधिकारी सदर
बरेली ।



सिद्ध

784/03/34

Handwritten signature and date 29/4/04

प्रार्थी का नाम ---
रजिस्ट्रेशन सं० ---
प्रार्थना पत्र का दिनांक ---
प्रतिलिपि इत्यादि का दिनांक ---
नोटिस बोर्ड का दिनांक ---
शुल्क ---
बनाम पक्ष के हस्ताक्षर ---
जिलान कारी के हस्ताक्षर ---
कुल शब्द ---

छाया प्रतिलिपि
बभिलेहावाल (माब)
दिनांक 18/4/04

1301